(वाद सं0-4192/4/22/2020)

22.09.2023

संचिका आज उपस्थापित की गई।

संचिका को राज्य आयोग के दिनांक–13.07.2023 के आदेश के आलोक में संचिकास्त कर दिया गया था परन्तु परिवादी की ओर से एक आवेदन समर्पित करने पर संचिका आज पुनः उपस्थापित की गयी।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, सियाराम सिंह, सेवानिवृत प्रबंधक, मुंगेर–जमुई सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0, मुंगेर को सेवाकालीन तथा सेवानिवृति के उपरान्त बकाया दावों का भुगतान नहीं किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **प्रबंध निदेशक, मुंगेर–जमुई सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0, मुंगेर** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **प्रबंध निदेशक, मुंगेर–जमुई सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0, मुंगेर** ने अपने प्रतिवेदन में परिवादी के दावों पर कंडिकावार प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित है कि श्री सियाराम सिंह, निदेशक मण्डल के निर्णय एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करते रहे है तथा इनके द्वारा करोड़ों रूपये का फर्जी एवं नियम विरूद्ध तरीके से ऋण वितरण किया गया है, जो कि बैंक में जमा कर्त्ताओं की राशि रही है, जिसकी वसूली नहीं होने के कारण बैंक का करोड़ों का नुकसान हुआ है। यह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के धारा 11 (1) के अनुपालन नहीं करने में इनका भी बड़ा योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा अवैध राशि का भुगतान किया गया है। श्री सिंह पर निबंधक, स0स0, बिहार, पटना में अवार्ड वाद चल रहा है तथा पूर्व से चल रहा सरचार्ज वाद पर्राशि की गणना की जा रही है एवं लक्ष्मीपुर में प्राथमिकी दर्ज है। इन सबके निष्पादन होने तथा बैंक से लिए गए ऋण पर अद्यतन ब्याज की

गणना के साथ समायोजन के बाद ही शेष राशि नियमानुकूल भुगतान किया जाना उचित रहेगा।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी ने अपने प्रत्युत्तर में उसकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से विचार करने का अनुरोध किया है।

प्रसंगाधीन मामला सेवा से सम्बन्धित है, जिसके सम्बन्ध में राज्य आयोग के स्तर से कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिवादी को सलाह दी जाती है कि प्रसंगाधीन मामले में सम्बन्धित प्राधिकार/माननीय न्यायालय के समक्ष विधि अनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष हेतु याचना कर सकते है।

उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ प्रबंध निदेशक, मुंगेर–जमुई सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0, मुंगेर का प्रतिवेदन (पृष्ठ 31–26/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

उप सचिव